पत्रांक 875 धारा–57 / 2009–10 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर,वाणिज्य कर,
(धारा–57 अनुभाग)
दिनॉक देहरादून 02 जून, 2009

प्रार्थना पत्र सं0 42 / 13–02–2009

सर्वश्री मालकोटी एण्ड एसोसिएट्स ,
केटरिंग सर्विसेज प्रा0लि0,
2nd फ्लोर, महारानी बाग,
जी0एम0एस0 रोड, देहरादून ।

निर्णय का दिनांक :– जून, 2009
प्रार्थी की ओर से :– श्री आई0डी0 उनियाल (अधिवक्ता फर्म)

आदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत

सर्वश्री मालकोटी एण्ड एसोसिएट्स, केटरिंग सर्विसेज प्रा0लि0, 2nd फ्लोर, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून द्वारा मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा सर्वश्री टाटा मोटर्स, सिडकुल रूद्रपुर से अनुबन्ध के आधार पर पके भोजन की सप्लाई की जा रही है जिस पर संविदी विभाग द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–35 के तहत 4 प्रतिशत की दर से कटौती की जा रही है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि क्या उक्त प्रकरण में मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–35 के तहत टी0डी0एस0 की कटौती की जानी चाहिये अथवा नहीं ।

2– ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गयी कि जिसमें बताया गया कि व्यापारी की पत्रावलियों की जॉच पर टाटा मोटर्स को कुक्ड फूड की आपूर्ति किये जाने तथा उनके द्वारा 4 प्रतिशत की टी0डी0एस0 कटौती किये जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण व्यापारी द्वारा उठाये गये प्रश्न का कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनके द्वारा यह भी मत व्यक्त किया गया कि स्त्रोत पर कर की कटौती ऐसी संविदाओं के लिए हो सकती है,जो अविभाज्य कार्य संविदा हो। प्रश्नगत फर्म द्वारा टाटा मोटर्स सिडकुल को पके भोजन की जो अपूर्ति की जाती है वह अविभाज्य कार्य संविदा है अथवा नहीं यह निर्धारित नहीं हो सकता है। यदि व्यापारी द्वारा सिर्फ सप्लाई का कार्य किया जाता है तो ऐसे में स्त्रोत पर कटौती नहीं की जायेगी बल्कि व्यापारी द्वारा बिल जारी कर वैट अलग से वसूल कर जमा कराया जायेगा ।

3– फर्म की ओर से श्री आई0डी0 उनियाल, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया गया कि टाटा मोटर्स द्वारा पके भोजन की अपूर्ति पर वैट अधिनियम की धारा–35 के तहत टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जानी चाहिए ।

02.06.09

–2–

4— मेरे द्वारा प्रार्थना—पत्र पर विचार किया गया तथा अभिलेख देखे गये। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा—35 के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसी कार्य संविदा जिसके अन्तर्गत मूल्यवान प्रतिफल के विरूद्ध माल के स्वामित्व का अन्तरण विचाराधीन हैं, के सम्बंध में संविदी (contractee) की यह विधिक बाध्यता है कि भुगतान के स्त्रोत पर 4 प्रतिशत की दर अथवा कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा इस सम्बंध में पारित आदेश के अनुसार कम दर पर भुगतान के स्त्रोत पर कटौती करके कोषागार में नियमानुसार चालान के माध्यम से जमा करें। वस्तुतः संविदी का दायित्व विधिक व्यवस्था के अन्तर्गत ही प्राक्धानित है तथा कर निर्धारण के समय सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को यह तय करना है कि जो भुगतान संविदाकार को प्राप्त हुआ है वह माल की विशुद्ध आपूर्ति से सम्बन्धित था अथवा निर्माण संविदा/कार्य संविदा के अन्तर्गत प्रयुक्त माल के स्वामित्व के अन्तरण से सम्बन्धित था। अतएव ऐसी दशा में यदि संविदी के द्वारा भुगतान के स्त्रोत पर कोई कटौती की भी जाती है तो भी यदि संविदा वस्तुतः विशुद्ध माल की आपूर्ति से सम्बन्धित है तो माल की आपूर्ति पर जो भी कर दायित्व होगा उसका विनिश्चय नियमानुसार कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा किया जायेगा तथा आरोपित कर के विरुद्ध भुगतान के स्त्रोत पर की गयी कटौती का समायोजन किया जायेगा। सर्वश्री मालकोटी एण्ड एसोसिएट्स के पक्ष में जारी एक मैमो की इन्टरनेट के माध्यम से निकाली गयी प्रतिलिपि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदनकर्ता को रु0 44.30 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से पके हुये भोजन की आपूर्ति का काम भी मिला है तथा इस धनराशि में 12.5 प्रतिशत की दर से वैट भी सम्मिलित है। अतएव ऐसी दशा में जब संविदी के द्वारा प्रति व्यक्ति के हिसाब से पके हुये भोजन की आपूर्ति के सम्बंध में वर्कआर्डर आवेदनकर्ता के पक्ष में दिया गया है तथा 12.5 प्रतिशत की दर से देय कर के भुगतान की बात भी कही गयी है तो यह जरुरी नही है कि विशुद्ध आपूर्ति के इस मामले में भुगतान के स्त्रोत पर कोई कटौती की जाये।

5— उपरोक्तानुसार आवेदनकर्ता के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी तथा आवेदनकर्ता को प्रेषित की जाये।

(वी0के0 सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
2— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।
3— एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
4— समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों/उद्योग/ व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5— ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
6— ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।

12.06

7– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

8– पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रूडकी।

9– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

10– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।

11– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।

12– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।

13– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

14– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

02.06.0

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।